भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश् न संख् या 2244

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

2244. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुद्रा योजना के अंतर्गत विशेषकर कृषि ऋणों से संबंधित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क् या है;
(ख) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी अनर्जक आस्तियों के संबंध में कोई आंकड़े हैं अथवा इस संबंध में रुझान देखे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) मुद्रा योजना के अंतर्गत कृषि ऋणों में अनर्जक आस्तियों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज् य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ दिनांक 08.04.2015 को किया गया था और योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई), अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), द्वारा 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा संबंधी क्षेत्रों और साथ ही कृषि संबद्ध क्रियाकलापों में आय सृजक क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सुविधा से वंचित गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म/लघु कारोबारी इकाइयों को संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करना है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत कृषि से संबद्ध कार्यकलापों को शामिल किया जाता है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), आंध्र प्रदेश के अनुसार इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमश: 16.09%, 11.52% और 4.68% का

एनपीए है। एनपीए को कम करने के उदेश्य से बैंक एसएमएस, ई-मेल तथा पत्र के माध्यम से उधारकर्ताओं से सम्पर्क करने जैसे उपायों को अपनाता है तथा लोक अदालत, समझौते के माध्यम से निपटान, डीआरटी में मामलों को उठाने जैसे उपायों का भी सहारा लेता है।

******